# राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
दूरभाष: 0522–2720383, 384, 137, 138, 139 फैक्स : 0522–2720056

पत्रांकः विप0–1 / (498) / 2023– / 56 दिनांकः 26/04/2023

1. समस्त उपनिदेशक (प्रशा0 / विप0)
   मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सभापति / सचिव,
   कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ,
   उत्तर प्रदेश।

अनु सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–187 / 80–1–2023 दिनांक 25 अप्रैल, 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 प्रकाशित किया गया है। विधायी अनुभाग–1 के अधिसूचना संख्या–152 / 79–वि–1–2023–2–क–5–2023 दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के गजट की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

अतएव उपर्युक्तानुसार शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–152 / 79–वि–1–2023–2–क–5–2023 दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के गजट की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

(अंजनी कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनॉक समांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 5वॉ तल, अलीगंज, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, लखनऊ।
8. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियाँ, उ0प्र0।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर सेल, मण्डी परिषद, मुख्यालय को मण्डी परिषद की वेबसाइट / ई–मेल पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाईल हेतु।

26.04.2023
निदेशक

क्रम-संख्या—72

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 अप्रैल, 2023

चैत्र 30, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 152 / 79-वि-1—2023-2—क-5-2023

लखनऊ, 20 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2023) जिससे कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग—1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2023)

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जायेगा।



(अंजनी कुमार सिंह)
निदेशक
... परिषद, उ०प्र०

(दिलीप कुमार त्रिगुणायत)
संयुक्त निदेशक(प्रशा० / विधि)

(शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
अनुभाग अधिकारी

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 9-क का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 9-क में, उपधारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

"(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी मण्डी समिति द्वारा यथा विहित रीति से थोक व्यापारी हेतु जारी लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस माना जायेगा। एकीकृत लाइसेंसधारी राज्य के किसी मण्डी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत होगा।"

धारा 17-क का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 17-क की उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(ग) जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ वह, राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु लाये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर यथा विहित रीति से मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर में छूट प्रदान कर सकती है।"

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य के बाहर से लाये गये कृषि उत्पाद को प्रसंस्करण इकाई द्वारा सीधे क्रय किया जायेगा और विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर राज्य, जहाँ कृषि उत्पाद लाया गया हो, में प्रवृत्त विधि, यदि कोई हो, के अनुसार मण्डी शुल्क एवं उपकर, यदि कोई हो, का सम्यक रूप से भुगतान किया जायेगा।

"(घ) खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना और राज्य में उत्पादित विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन और उसे उक्त इकाईयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन है वहाँ वह, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर यथा विहित रीति से मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर में छूट प्रदान कर सकती है।"

प्रतिबन्ध यह है कि प्रसंस्करण इकाई उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद, राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से, उत्तर प्रदेश राज्य में सीधे कृषकों से क्रय करेगी।

"(ङ) राज्य सरकार पूर्वोक्त खण्ड (ग) एवं (घ) के अधीन प्रदत्त छूट के फलस्वरूप राज्य की समस्त मण्डी समितियों की आय में विहित रीति से आगणित कुल कमी की प्रतिपूर्ति, वार्षिक आय-व्ययक के माध्यम से करेगी।"

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

---

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 152(2)/LXXIX-V-1–2023-2(ka)-5-2023
*Dated Lucknow, April 20, 2023*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 5 of 2023) promulgated by the Governor. The Krishi Vipanan Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

## THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2023

(U.P. ORDINANCE NO. 5 OF 2023)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy fourth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

*further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964*

*Whereas, the state legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;*

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023. Short title

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the "principal Act") in Section 9-A after sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:- Amendment of section 9-A of U.P. Act no. 25 of 1964

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) licences issued to a wholesale trader by any mandi samiti, in the manner as may be prescribed, shall be treated as Unified Licence. The Unified Licensee shall be authorized to trade in any market area of the State."

3. In sub-section (1) of Section 17-A of the principal Act, after clause (b), the following clauses shall be *inserted*, namely:- Amendment of section 17-A

"(c) Where the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient to encourage the establishment of processing units in the State, it may exempt market fee and development cess on specified agricultural produce brought from outside the State for processing, in such manner as may be prescribed:

Provided that the agricultural produce brought from outside the State shall be purchased directly by the processing unit and the market fee and cess on specified agricultural produce, if any, shall be duly paid according to the law, if any, in force in the State from where the agricultural produce is brought.

(d) Notwithstanding anything contained in clause (a), where the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to encourage the establishment of processing units in the State and to promote the marketing of specified agricultural produce cultivated in the State and to be used as raw material by said units, it may exempt market fee and development cess on such specified agricultural produce in such manner as may be prescribed:

Provided that the processing unit shall purchase specified agricultural produce directly from the farmers in the State of Uttar Pradesh, in such manner as may be prescribed by the State Government.

(e) The State Government shall reimburse the total shortfall, calculated in the prescribed manner, in the income of all market committees of the State as a result of the exemption given under the aforesaid clauses (c) and (d) through Annual Income-Expenditure."

ANANDIBEN PATEL,
*Governor,*
*Uttar Pradesh.*

———

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 239 राजपत्र–2023–(287)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०– ए०पी० 2 सा० विधायी–2023–(288)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

239 RPH (krishan viparan) 2023 data 8e